(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 09 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 66

बउनवान

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तह. छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 05.04.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2021 को लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दो बिन्दुओं की निम्नानुसार क्रम 1 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) खेत पर जाने का रास्ता पाने का कानून का मुकदमा किसी के द्वारा दाखिल किया जाता है तो इसका फैसला आपके कार्यालय द्वारा कितने दिनों में देने का प्रावधान है। क्रम 2 अगर एसडीएम कार्यालय द्वारा समय पर उक्त मुकदमा की सुनवाई कर किसान को रास्ता नहीं दिलवाया जाता है तो किसान द्वारा कहां पर उक्त केस की शिकायत की जा सकती है जिससे किसान को समय पर रास्ता मिल सके। उक्त सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 12.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को जरिये सम्मन क्रमांक 336–337 दिनांक 14.03.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 336–337 दिनांक 14.03.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुप[illegible] लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद द्वारा पत्र क्रमांक / रीडर / आरटीआई / 2024 / 32–33 दिनांक 03.04.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसकी एक [illegible] अपीलार्थी को भी दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी, [illegible] छीपाबडौद से अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन पत्र में दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसमें लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / रीडर / आरटीआई / 2024 / 32–33 दिनांक 03.04.2024 से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, क्रमांक प.3(2)राज–6 / 03 / पार्ट / 4 जयपुर दिनांक 24.12.2014 से जारी परिपत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को दिनांक 04.04.2024 को उपलब्ध करवा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2024/32–33 दिनांक 03.04.2024 से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संदर्भ में राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, क्रमांक प.3(2)राज–6/03/पार्ट/4 जयपुर दिनांक 24.12.2014 से जारी परिपत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को दिनांक 04.04.2024 को उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी को कोई सूचना दिया जाना अपेक्षित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई सूचना अथवा उससे संबंधित जवाब आवेदनकर्ता को अन्दर समय सीमा 01 माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **05.04.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested